भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2635

15.12.2015 को उत्तर के लिए

पर्यावरण की सुरक्षा

2635. श्री रामदास सी. तडस :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र और दिल्ली में मुख्य शहरों में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं या इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि अनुसार सरकार द्वारा शहरों में प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु कार्यान्वित की गई परियोजनाओं के क्या नाम हैं और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषरूप से महाराष्ट्र में प्रदूषण से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख) चूंकि देश में विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत बनाए गए मौजूदा कार्यतंत्र में देश में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिदेश का पर्याप्त रूप से उल्लेख है, अत: महाराष्ट्र और दिल्ली की एनटीसी सरकार सहित केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच करार पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है। प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता, साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से क्रियान्वित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण पर लक्षित महत्वपूर्ण स्कीमें हैं। इन स्कीमों के तहत प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा, क्रमश: अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के साथ प्रदूषण निवारण और नियंत्रण से संबंधित कार्यकलापों को समन्वित कर रहा है। सीपीसीबी, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ आवधिक रूप से पारस्परिक वार्ता और समीक्षा बैठकें आयोजित कराता है। ऐसी बैठकों में पुनरीक्षित महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रतिपादित की गई कार्य योजनाओं में जल तथा वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग, उद्योग विशिष्ट प्रदूषण उपशमन कार्यक्रम, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की पुन:बहाली, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी सफाई कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं।

****

'पर्यावरण की सुरक्षा' के संबंध में दिनांक 15.12.2015 को उत्तर के लिए श्री रामदास सी. तडस द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2635 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 'प्रदूषण उपशमन/साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों हेतु सहायता' स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां

क्रम सं.	एसपीसीबी/पीसीसी	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16 (30.11.2015 तक)**
1.	असम	4.66	31.13	00.00	00.00
2.	चंडीगढ़	9.70	27.95	00.00	44.25
3.	विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, दिल्ली (एनजीओ)-प्रशिक्षण हेतु	37.55	00.00	32.75	60.00
4.	गोवा	00.00	6.75	00.00	00.00
5.	गुजरात	420.00	545.00	840.00	756.00
6.	हिमाचल प्रदेश	00.00	00.00	50.00	00.00
7.	कर्नाटक	96.47	00.00	00.00	00.00
8.	मणिपुर	34.85	23.74	38.16	47.52
9.	मेघालय	38.33	00.00	00.00	00.00
10.	मिजोरम	51.05	36.34	185.00	
11.	नागालैंड	17.25	00.00	00.00	00.00
12.	सिक्किम	15.40	00.00	00.00	00.00
13.	त्रिपुरा	14.19	23.15	00.00	00.00
कुल		**739.45**	**694.06**	**1145.91**	**907.77**

'पर्यावरण की सुरक्षा' के संबंध में दिनांक 15.12.2015 को उत्तर के लिए श्री रामदास सी. तडस द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2635 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।

नवम्बर, **2015** तक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनएएनपी) के अंतर्गत विभिन्न मॉनीटरिंग अभिकरणों को जारी किए गए भुगतान का ब्यौरा :

क्रम सं.	मॉनीटरिंग अभिकरण के नाम	**2012-13** (रुपये में राशि)	**2013-14** (रुपये में राशि)	**2014-15** (रुपये में राशि)	**2015-16** (रुपये में राशि) नवम्बर, **2015** तक
1.	आंध्र प्रदेश एसपीसीबी	9365000	8450000	7666250	-
2.	असम एसपीसीबी	2920000	8690000	7842500	-
3.	चंडीगढ़ पीसीसी	248333	1986667	-	-
4.	छत्तीसगढ़ ईसीबी	1373750	-	-	1526250
5.	गुजरात एसपीसीबी	805000	3809583	-	-
6.	गोवा एसपीसीबी	9248000	8882500	7125000	7789333
7.	झारखंड एसपीसीबी	1960000	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश एसईपी एवं पीसीबी	3480000	5578333	-	10128333
9.	कर्नाटक एसपीसीबी	2867500	-	354167	6749583
10.	केरल एसपीसीबी	3808333	-	6474167	-
11.	महाराष्ट्र एसपीसीबी	9428750	7467083	-	-
12.	मेघालय एसपीसीबी	2496667	2297500	-	7845833
13.	मध्य प्रदेश एसपीसीबी	5153583	-	-	-
14.	मिजोरम एसपीसीबी	472500	5931667	1765000	5413333
15.	नागालैंड एसपीसीबी	793333	1360000	906667	-
16.	उड़ीसा एसपीसीबी	3956417	-	5734583	-
17.	पंजाब एसपीसीबी	-	-	7795417	-
18.	पांडिचेरी पीसीसी	1266000	-	-	-
19.	राजस्थान एसपीसीबी	4788750	-	-	4218750
20.	तमिलनाडु एसपीसीबी	5327000	4399166	2358333	-
21.	उत्तर प्रदेश एसपीसीबी	4150000	9586667	-	7263333
22.	उत्तराखंड ईपी एवं पीसीबी	-	3694334	-	4085833
23.	नीरी	4860000	-	7047000	10800000
24.	आईआईटी कानपुर	458366	450000	3709378	-
	कुल =	**79227282**	**72583500**	**58778462**	**65820581**

शीर्षक :

एसपीसीबी - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसईपी और पीसीबी - राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ईपी एंड पीसीबी - पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीसीसी - प्रदूषण नियंत्रण समिति। वर्तमान में नीरी, 5 विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों नामशः दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 6 नगरों में मॉनीटरिंग कर रहा है।

स्रोत : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड